पत्रांक–मं०मं०–01 / आर०–14 / 08............536............ /

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

बी० प्रधान,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 16.4. 2015

विषय :– मंत्रिपरिषद् की बैठकों में विचारार्थ / अनुमोदनार्थ उपलब्ध कराये जाने वाले संलेखों को ससमय उपस्थापन करने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–174, दिनांक–02.02.2015, पत्रांक–1354, दिनांक–27.09.2013, पत्रांक–733, दिनांक–20.05.2010 एवं पत्रांक–1769, दिनांक–02.12.2010

महाशय,

प्रासंगिक पत्रों का कृपया संदर्भ करना चाहेंगे। उक्त पत्र के द्वारा मंत्रिपरिषद् के बैठकों में विचारार्थ / अनुमोदनार्थ विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये संलेखों (Cabinet Notes) को त्रुटिविहिन ढंग से उपलब्ध कराने तथा संलेखों को ससमय उपस्थापन के संबंध में ध्यान आकर्षित किया गया है।

प्रायः ऐसा पाया जाता है कि विभिन्न विभागों से मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले संलेखों को मंत्रिपरिषद् के बैठक के दिन ही उपलब्ध कराये जातें है, जिससे संलेखों का सही ढंग से जांच कर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

अतः निदेशानुसार पूर्व के निर्गत पत्रों के आलोक में पुनः अनुरोध किया जाता है कि आप व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हुए मंत्रिपरिषद् की बैठक में रखे जाने वाले संलेखों को पूर्व में निर्गत पत्र के आलोक में त्रुटिविहिन रूप में प्रत्येक शुक्रवार को पूर्वाह्न तक मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय ताकि विभाग द्वारा भी आवश्यक प्रक्रिया अपनाते हुए मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर ससमय सामान्यतः मंगलवार को होने वाले मंत्रिपरिषद् की बैठक में विचारार्थ सम्मिलित किया जा सके।

विश्वासभाजन

13/4/15

(बी० प्रधान)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– मं०मं०–01 / आर०–14 / 08..........536..........दिनांक–..........16 अप्रैल, 2015

प्रतिलिपि :– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / सभी मंत्रिगण के आप्त सचिव / मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग / विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग / प्रशाखा–1, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/4/15

(बी० प्रधान)
सरकार के प्रधान सचिव